

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.11(9)नविवि / 2020

जयपुर, दिनांक: 18 OCT 2022

**आदेश**

उप विभाजन एवं पुर्नगठन के संबंध में जारी विभागीय परिपत्र दिनांक 31.08.2021 के सामान्य निर्देश के (i) को विलोपित किया जाकर मॉडल राजस्थान {नगरीय क्षेत्र शहर का नाम. ....(भवन विनियम)} 2020 के बिन्दु संख्या 10.7(x) में निम्न प्रावधान किया जाता है:-

“दो यो दो से अधिक भूखण्डों का पुर्नगठन प्रस्तावित होने पर अग्र सैटबैक योजनानुसार/मूल भूखण्ड अनुसार एवं अन्य सैटबैक मूल भूखण्ड अथवा पुर्नगठित भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर प्रचलित भवन विनियम अनुसार जो भी अधिक हो रखे जाने होंगे। ”

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

11  
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम